ऑन लाईन नं. GCMS 2023/222

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 73/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री सुदेश कुमार –विक्रेता व मालिक –
   मै. जय मातादी, वैश्णव ढाबा, गोल बाजार, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांकः 31.01.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कंवरपाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु.चि. एवं.स्वा. अधिकारी श्रीगंगानगर मे दिनांक 25.02.2023 को पद पर कार्य करने के लिये अधिकृत है। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन कंमांक संख्या एफ 5 (1) चिस्वा. /ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1 (ख) पर प्रकाशित हुआ है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश कंमांक आयुक्ता० / खासुऔनि / संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्री गंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमाक आयुक्ता/ खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.02.2023 को समय दोपहर 01.40 बजे को **मैसर्स जय माता दी वैश्णव ढाबा, गोल बाजार, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर पर पहुँचा, मौके पर श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री सुदेश कुमार (विक्रेता व मालिक)** को अपना परिचय दे कर संस्थान में कुण्डे के अन्दर रखे खाद्य पदार्थ दही (मिक्स दूध) के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान में स्टील ट्रे रखे 02 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **दही (मिक्स दूध)** को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया मुझे इसी खाद्य पदार्थ **दही (मिक्स दूध)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ दही (मिक्स दूध) का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5. ए भरकर देते हुऐ व्यक्त की, मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दीया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्ग से 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री सुदेश कुमार (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री सुदेश कुमार को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **दही (मिक्स दूध)** 800 ग्राम को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा खाद्य पदार्थ दही (मिक्स दूध) का नगद भुगतान 48 रूपये किया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **दही (मिक्स दूध)** को एकरुप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 10 बूंदे चालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के 1671** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–1671** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री सुदेश कुमार** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./214/Act/2023/214 Dated 10-03-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1671 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री सुदेश कुमार, मैसर्स जय माता दी वैश्णव ढाबा, गोल बाजार, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **दही (मिक्स दूध)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी वार्ड नम्बर 7 श्री करनपुर तहसील श्री करनपुर जिला श्री गंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मैसर्स जय माता दी वैष्णो ढाबा दुकान गोल बाजार श्री करनपुर तहसील श्री करनपुर जिला श्री गंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 67/24 दिनांक 15–1–2025 का दिया है कि आपकी दुकान में दही मिक्स दूध की जांच की गई तो दही मिक्स दूध substandard Food पाया गया है प्रार्थी ने उक्त दही मिक्स दूध में सुधार कर लिया है

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

भविष्य मे प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण स० 73/2023 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **दही(मिक्स दूध)** का सैम्पल **K-1671** जांच रिपोर्ट क्रमांकः– L.S./214/Act/2023/214 Dated 10-03-2023 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त दही मिक्स दूध में सुधार कर लिया है भविष्य मे प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण स० 73/2023 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया **Sample of Dahi(Prepared by Mix Milk) bearing code No. K-1671 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not Conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and, Food Addiative) Regulations, 2011** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री सुदेश कुमार, मैसर्स जय माता दी वैश्णव ढाबा, गोल बाजार, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री सुदेश कुमार, मैसर्स जय माता दी वैश्णव ढाबा, गोल बाजार, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा०)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर